

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :- अनील कुमार जैन
मूकदमा नम्बर 38/21

1. श्रीमती सविता पत्नी हरिश हंगात निवासी बेडसा फला कागुडवा तहसील
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज

प्रार्थी

बनाम

1. श्री होमा पिता मंगा
2. श्री कान्तिलाल पिता होमा
3. श्रीमती हुरजी पत्नी नानुराम कलासुआ
4. हरिराम पिता नानुराम कलासुआ निवासी बेडसा तहसील सीमलवाडा जिला
डूंगरपुर
5. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राज

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र

बाबत पत्थरगढी कराने अन्तर्गत धारा 111 रा.का.अधि।

उपस्थित :-

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 06/07/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काशत की भूमि गाँव बेडसा कें खाता सख्या 414 कें खसरा सख्या 3140/575, 3141/576, 3142/575, कुल खसरा किता 3 का कुल रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गढी करवाने का प्रार्थनापत्र पेश किया। विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण द्वारा सीमाकन/पत्थरगढी इनकी हद में करने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की भूमि की पत्थर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्हों के साथ कराना चाह रहा है। ऐसे में प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। उक्त पत्थरगढी हेतु तहसीलदार सीमलवाडा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 800/-रु जमा लेकर पत्थरगढी की जावे।

अतः तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काशत की भूमि गाँव बेडसा कें खाता सख्या 414 कें खसरा सख्या 3140/575, 3141/576, 3142/575, कुल खसरा किता 3 का कुल रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करने के आदेश किए जाते है, मौके पर विवाद की स्थिती में तहसीलदार आवश्यकतानुसार माकुल पुलिस जाब्त हेतु तहरीर जारी करे, तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पलाना कर रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 06/07/2021. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा